

4455

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.10



उत्तर प्रदेश UTTAR PR

U 674810



स्टाम्प : 4500/- रुपये

अनुबन्धक किरायेदारी पत्र मुदत तीस वर्ष

हम कि जसवीरसिंह व जसवीरसिंह व सुभाष पुत्रगण लहर सिंह निवासी हरसाऊ की मटैया {गोविन्दपुरम} कस्बा तहसील व जिला गाजियाबाद — प्रथम पक्ष {पत्रक/पत्रक/पत्रक: सफ वी सहा-27 189 30 यू0पी0/79/ 388/1134045 व यू0पी0/79/388/1134046

एवं सभ0स0सभ0 पब्लिक स्कूल लखी0 पोस्ट चरौरा जिला बुलन्दशहर द्वारा मैनेजर श्री जसवीरसिंह पुत्र श्री लहर सिंह निवासी हरसाऊ की मटैया {गोविन्दपुरम} कस्बा ,तहसील व जिला गाजियाबाद । द्वितीय पक्ष के है।

यह कि हम प्रथम पक्ष भूमि स्थित ग्राम लखी0 परगाँव व तहसील अनुपशहर जिला बुलन्दशहर में क्षेत्रफल 9,580 वर्ग मीटर जिसके कुछ भाग में बिल्डिंग की है तथा शेष भाग बाली है के मालिक ,काकिज स्वामी अधिपति है ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 20/11/2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

॥२॥

उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष पक्ष की ओर से आज तक हर प्रकार के भार बन्धाक देनदारी, बैंक लॉन, रकम, डेय, आद माहदा डेय, डिवि आदि-आदि से सुरक्षित है। कहीं अन्य जगह किसी प्रकार से गुस्त नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति के विषय में कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय व कार्यालय में विचाराधीन या अनिर्णित नहीं है अर्थात् हर प्रकार से पाक व साफ है।

प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष ने विधाालय चलाने हेतु उक्त सम्पत्ति 9,580/- वर्ग मीटर भूमि किराये पर लेने के लिये आग्रह किया है। जिसपर प्रथम पक्ष निम्न शर्तों के आधार पर द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति को किराये पर देने के लिये सहमत हो गये है जिसके लिये हम पक्षकारान व वारितान पक्षकारान पाबन्द रहेगें।

1- यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को फ्लॉक 1-7-12 से 30-6-2042 तक यानि मुदत 30वर्ष के लिये किराये पर देना तय पाया है।

2- यह कि हम पक्षकारान ने किरायेदारी वाली सम्पत्ति का किराया 18000/- अठारह हजार रुपये वार्षिक तय पाया है जिसको द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रति वर्ष अग्रिम रूप में अदा करते रहेगें तथा अन्दर किरायेदारी की अवधि में किराये की बृद्धि नहीं होगी।

जसवीर सिंह

2-1-2012-28-28

जसवीर सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23 JUL 2012

U 674924

३३

३३ यह कि फिा रतीव दिया किराया मान्य नहीं होगा, अवा लिये गये किराये की रतीव प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को देगा ।

३४ यह कि उक्त सम्पत्ति में रम०र०र०र० पब्लिक स्कूल लखौई पोस्ट चरौरा जिला बुलन्दाहर के नाम से ही विद्यालय चलेगा ।

३५ यह कि किरायेदारी वाली सम्पत्ति में किरायेदार ३३ द्वितीय पक्ष अपने व्यय से आवश्यकतानुसार लिमाई पुताई रंग रोस्त आदि कराने का अधिकारी होगा ।


३६ यह कि किरायेदारी वाली सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष किसी अन्यव्यक्ति फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात् शिकमी किरायेदार नहीं रहोगे । अगर किराये पर देगा तो द्वितीय पक्ष काबिले बेखाल होंगे ।


३७ यह कि अगर लगातार किन्ही दो वर्षों का किराया एक साथ रुकने पर किरायेदार द्वितीय पक्ष काबिले बेखाल होगा ।


३८ यह कि भूमि पर नवीन भवन का निर्माण व निर्मित भवन में परिवर्तन मरम्मत आदि का कार्य कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा ।

३९ यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार, किरायेदारी वाली सम्पत्ति में अपना मालिकाना हक अधिकार जताने का अधिकारी नहीं होगा ।

३१० यह कि र०र०र०र० पब्लिक स्कूल लखौई पोस्ट चरौरा जिला बुलन्दाहर द्वारा मैजर जवाहरसिंह पुत्र श्री लखसिंह निवासी हरसाज की मृत्या गोविन्दपुरम कस्बा तहसील व जिला गाजियाबाद, महावीरी देवी बिधा










उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



U 674925

॥४॥

समिति इस्ताऊ की महेया गौविन्दपुरम गाजियाबाद के सहयोग से करेगी।

॥११॥ यह कि किराये की अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष किरायेदार , किरायेदारी वाली सम्पत्ति का पूर्ण व वास्तविक रूप से कब्जा प्रथम पक्ष को शान्ति पूर्वक सौंप देंगे ।

॥१२॥ यह कि अगर द्वितीय पक्ष किरायेदार , किरायेदारी वाली सम्पत्ति में किराये की अवधि से आगे किराये पर रहना चाहेगा तो प्रथम पक्ष सम्पत्ति मालिक की सहमति से और नई शर्तों के आधार पर आगे किराये पर रहने का अधिकारी होगा ।

आः यह अनुबन्धा किरायेदारी पत्र मुदत तीस वर्ष लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

सीमा-किरायेदारी वाली सम्पत्ति -पूरब सडक , पश्चिम द्वात फन्दूवीरसिंह उत्तर द्वात जयपाल सिंह, दक्षिण द्वात लजय ,मोज आदि ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जसवीर सिंह

[Handwritten signature]
जसवीर सिंह

[Handwritten signature]
जसवीर सिंह

Shaan Y S
Shi Sampurn Singh
Leekhoi





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

॥ 5 ॥

K 660475

विवरण भूमि :- लेखापत्र में वर्णित किरायेदारी वाली सम्पत्ति ग्राम लखौड़ी परगना व तहसील अमृषाहर जिला बुलन्दशहर के गाटा सं० 33 रकबा 1.916 हे० में से अपना बकदर 1/2 भाग रकबा 0.958 हे० अर्थात् 9580 वर्ग मीटर है।

अतः यह किरायानामा आज मा बुद्धि त्वस्थ दशा में लिखा दिया ताकि प्रमाण हो। फोटो प्रमाणित स्वयं मसौदाकार द्वारा है।

[Handwritten signature]

जमिनारीसिंह

श्री विपिन कुमार गुप्ता जमिनारीसिंह



25

[Handwritten signature]
25-7-2012

मसौदाकार : श्री विपिन कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अमृषाहर।
टाइपकर्ता : क्वेरदत्त शर्मा
स्थान : अमृषाहर
दिनांक : 25-7-2012

[Handwritten signature]
25/7/12